ग्राम पंचायत धलूं, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016

<u>भाग-एक</u>

1 **{क} प्रस्तावना:-** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत धलूं, विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री नरेश कुमार	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री मदन लाल	23-01-16 से लगातार

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री परवेश कुमार	01-04-13 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में}
1	4.3	रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना	3.50
2	5.2	खाता "ख" के ब्याज को खाता "क"में अन्तरित न किया जाना	0.23
3	6.1	स्व-स्त्रोत के ऋणात्मक शेष बारे	1.45
4	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे	.53
5	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	9.26
6	8	औपचरिकता के बिना खरीद करने बारे	1.47
7	9	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना	4.11

8	9.1	सीमेंट की 50 बोरियों को कम दर्ज करना	विवरण पैरे में

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत धलूं, विकास खण्ड नगरोटा, तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है , श्री मुकेश कुमार स्नेही , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18-08-2016 से 23-08-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय धलूं में किया गया l आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए क्रमश: माह 06 /13,03/15 व 12/15 व 01/14, 09/14, 12/15 का चयन किया गयाl

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत धलूं , विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000/-** बनता है l उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि **₹6000/-** को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 163 दिनांक 24 -08-16 द्वारा सचिव, पंचायत धलूं से अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति

ग्राम पंचायत धलूं द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत धलूं के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	122254	145872	268126	87799	180327
2014-15	180327	97942	278269	225091	53178

2015-16	53178	113265	166443	311914	-145471

{2} अनुदान:- ग्राम पंचायत धलूं के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	291044	4034027	4325071	4004605	320466
2014-15	320466	3497901	3815445	2435447	1382920
2015-16	1382920	3068952	4451872	3525920	925952

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB N /BAGWAN	20012008178	750082
2.	---DO-----	50056502403	1308
3.	HDFC N/BAGWAN	500100083071167	112165
4.	---DO-----	500100019464651	1010
5.	----DO-----	500100019464661	47933
6.	----DO-----	50010005407634	137457
7.	---DO-----	500100009051941	746
		निवेशित राशि	80000
		कुल जमा राशि	**₹ 1130701**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (1+2):- ₹780481

(ख) दिनांक 31-3-16 को बैंक में कुल जमा राशि:- ₹ 1130701

(ग) हस्तगत राशि :- ₹ 81

(घ) कुल जमा :- ₹1130782

अन्तर :- घ-क = ₹ 350301

4.2 निवेश :- दिनांक 31-3-16 को निवेश की स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

निवेश की तिथि	ऍफ़.डी.आर न०,बैंक	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्व राशि
11-12-15	500625 48714, KCCB	80000	11-12-16	88090

4.3 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना

ग्राम पंचायत धलूं की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-16 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹350301 का अन्तर था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह,नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए साथ रोकड़ बही व सात बैंक खातों का पंचायत द्वारा रख-रखाव किया गया है जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 नियमों के विरुद्ध सात बैंक बचत खातों का खोला जाना

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय व व्यय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को प्राप्ति व व्यय करने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा दो

के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार सात बैंक खाते खोले गए है । अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन पांच अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.2 खाता "ख" में अर्जित ₹0.23 लाख के ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था । इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क"में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

खाता सं.	2013 -14	2014-15	2015-16	कुल प्राप्त ब्याज
500100083071167	------	------	4165	4165
500100019464661	252	2844	3837	6933
50056502403	1185	------	1308	2493
500100019464651	161	1324	1177	2662
50010005407634	1410	2733	3087	7230
कुल जोड़	**3008**	**6901**	**13574**	**₹23483**

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारे

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार

नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

6 गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में गृह-कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है । अत: पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

6.1 स्व: स्त्रोत निधि के ₹1.45 लाख ऋणात्मक शेष बारे

सचिव, ग्राम पंचायत धलूं द्वारा उपलब्ध करवाए गए आय -व्यय के आंकड़ो तथा पैरा 4(1) स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति के अनुसार मे दिनांक 31-3-16 को ₹145471/- का ऋणात्मक शेष है स्व: स्त्रोत निधि में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अनुदान से व्यय की गई व स्व: स्त्रोत निधि शीर्ष में कुल प्राप्ति से ₹1.45 लाख अधिक व्यय किए गए । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है । इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशि को वसूल कर स्व: स्त्रोत निधि शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए ।

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹ 0.53 लाख अधिक व्यय करने बारे

पंचायत सचिव धलूं द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान IAY, ZP व MPLADS के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹41856 , ₹10764 व ₹843 , इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने

के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹53463 अधिक व्यय किए गए , जोकि अनियमित है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए । भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹9.26 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹925952 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यो हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :160 दिनांक 24-08-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत धलूं को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत धलूं द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 1.47 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 147088 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :161 दिनांक 24-08-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत धलूं को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत

धलूं द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

9 क्रय की गई ₹ 4.11 लाख निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व उपयोग करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹ 411339 की निर्माण व अन्य सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज व जारी करना नहीं दर्शाया गया है। जो की एक गम्भीर अनियमितता है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :161 दिनांक 24-08-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत धलूं को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत धलूं द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9.1 स्टॉक रजिस्टर में 50 सीमेंट की बोरियो को कम दर्ज करने बारे

अंकेक्षण के दौरान सीमेंट का स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 27-7-13 को पृष्ठ संखया: 1 पर गणना अनुसार 84 बोरियां दर्ज करना अपेक्षित था परन्तु केवल 34 बोरियां ही दर्ज की गई, इस प्रकार 50 बोरियां कम दर्ज की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है औचित्य स्पष्ट करते हुए , अतिरिक्त 50 बोरियों को दर्ज करना सुनश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 बिजली के बिल के रूप में ₹49/- अधिक भुगतान करने बारे

वाउचर संख्या 29 माह 9/14 की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा बिजली के बिल के रूप में ₹2567/- भुगतान करना अपेक्षित था । पंचायत द्वारा बिजली के बिल को देय तिथि को भुगतान न कर देरी से करके ₹2616/- का भुगतान किया गया । जो की सामान्य नियमों के अनुसार उचित नहीं है । इस प्रकार ₹49/- का अधिक भुगतान किया गया । अत: ₹49/- की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या : - 162 दिनांक 24-08-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत धलूं को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत धलूं द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1	गृह -कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	मोबाइल टाबर रजिस्टर
3	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
4	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5	डाक टिकट रजिस्टर
6	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
7	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
8	खाताबही
9	रसीद बुक रजिस्टर

12 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का

नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

13 विविध अनियमितताएं

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

14 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

15 निष्कर्ष:- लेखों के रख -रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है । लेखे असन्तोषजनक पाए गए ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृश्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 28/2016–खण्ड–1–5759–5763 दिनाँकः 05.11.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत धलूँ, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या **1 (ख)** में

वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

5 वरिष्ठ महालेखाकार (स्थानीय निकाय), कार्यालय प्रधान महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला–3.

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.